International Environmental
Law Research Centre

Bihar Irrigation Water Management Rules, 2000 (in Hindi)

This document is available at ielrc.org/content/e0021.pdf

For further information, visit www.ielrc.org

Note: This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

सिंचाई जल प्रबंधन नियमावली – 2000

(बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा 115 के अन्तर्गत)

जल संसाधनों के महत्तम उपयोग हेतु विभाग के साथ कृषक समिति की सहभागिता की आवश्यकता एवं नियमावली गठन के उद्देश्य :

राज्य में विकसित होने वाले जल संसाधनों के महत्तम उपयोग हेतु विभागीय अभियंता, कृषिविद्, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्र वेत्ता के साथ-साथ वास्तविक लाभान्वित कृषकों की सहभागिता आवश्यक है ।

इसमें कृषकों, सरकार एवं विभागीय पदाधिकारियों आदि सभी का हित निहित है ।

इसके फलीभूत होने के लिए यह आवश्यक है कि नहर प्रणाली के एक निश्चित बिन्दु पर स्थित शीर्ष नियामक पर विभाग सुनिश्चित रूप में जल उपलब्ध कराये और उसके नीचे की वितरण प्रणाली में जल के बेहतर उपयोग हेतु लाभान्वित कृषक स्वयं अपनी योजना बनायें एवं इसके कारगर उपयोग हेतु आवश्यक कार्रवाई करें । ऐसा सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार वितरण प्रणाली के समुचित संचालन, जल वितरण, नहरों का संपोषण एवं रख-रखाव, सिंचित क्षेत्र की मापी एवं सिंचाई शुल्क की वसूली, इनसे संबंधित विवादों के निपटारा के साथ-साथ आउटलेट कमान्ड के अन्तर्गत ओ.एफ.डी. कार्यो के संपादन, संचालन, मरम्मति एवं रख-रखाव करने हेतु नहर के सिंचाई जल प्रबंधन का दायित्व कृषक समिति को हस्तानान्तरित करना चाहती है ।

इसके निमित लाभान्वित कृषकों को उनके कर्त्तब्य एवं अधिकार का बोध कराते हुए उन्हें उत्प्रेरित कर कार्यक्रम के प्रति उन्मुख कर सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु कृषकों का संगठित होना आवश्यक है ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधिनियम की धारा 115 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस नियमावली का गठन किया जा रहा है, जो सभी संबंधित पक्षों पर पूरे राज्य में लागू होगा ।

1. यह नियमावली सिंचाई प्रबंधन नियमावली 2000 के नाम से जानी जायेगी और निर्गत होने की तिथि से पूरे राज्य में प्रभावी होगी ।

2. कार्यक्रम की सफलता के लिए पूर्व के जो भी नियम-कानून बाधक होंगे, उन्हें दूर करने हेतु सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

3 परिभाषायें :

(क) अधिनियम का अर्थ हे, बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 ।

(ख) धारा का अर्थ है बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा ।

(ग) राज्य का अर्थ है बिहार राज्य, प्रांत का अर्थ है बिहार प्रांत ।

(घ) सरकार का अर्थ है बिहार सरकार एवं विभाग का अर्थ है जल संसाधन विभाग।

(ड.) जल संसाधन विभाग या सिंचाई विभाग का अर्थ है वह सरकारी विभाग जो राज्य में सिंचाई कार्यो की देख-रेख करता है । अन्य विभागों का तात्पर्य उन विभागों से है, जो राज्य में सिंचाई या और कृषि कार्यो के विकास और सहयोग के लिए कार्य करते हैं ।

(च) नहर अधिकारी का अर्थ, जेा अधिनियम में अंकित है वही रहेगा ।

(छ) व्यक्ति का अर्थ है अधिनियम की धारा 32 व्याख्या में अंकित अर्थ, जिसके अनुसार व्यक्ति में संयुक्त रूप से काम करने वाले बहुत से व्यक्ति और जल उपभोक्ता समिति भी सम्मिलित है, चाहे उनकी संख्या जो भी हो ।

(ज) अधीक्षण अभियंता से अभिप्राय है जल संसाधन विभाग की प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत प्रासंगिक नहर क्षेत्र के अंचल के प्रभारी अधीक्षण अभियंता के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी ।

(झ) कार्यपालक अभियंता से अभिप्राय है जल संसाधन विभाग की कार्यपालक इकाई के अन्तर्गत प्रासंगिक नहर के प्रमंडल के प्रभारी कार्यपालक अभियंता के रूप में राज्य सरकाार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी ।

(ञ) सहायक अभियंता या एस.डी.ओ. से अभिप्राय है जल संसाधन विभाग की कार्यपालक इकाई के अन्तर्गत प्रासंगिक नहर के अवर प्रमंडल के प्रभारी अवर प्रमंडल पदाधिकारी/सहायक अभियंता के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी ।

(ट) प्रशाखा नहर पदाधिकारी का अर्थ है उस नहर के किसी प्रशाखा के प्रभारी कनीय अभियंता ।

(ठ) समिति का अर्थ है प्रणाली स्तर पर गठित लाभान्वित कृषकों की समिति और यह वही होगा जो अधिनियम की धारा 2 (दो) की कंडिका ''व'' में परिभाषित है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन या सक्षम पदाधिकारी द्वारा निबंधित एवं सरकार द्वारा मान्य जल उपभोक्ताओं की समिति है ।

(ड) एस.एल.सी. का अर्थ है प्रणाली स्तर के किसानों की समिति । प्रणाली वितरणी, उप-वितरणी या लघु नहर हो सकती है, जिसके स्तर पर गठित समिति क्रमशः वितरणी, उप-वितरणी एवं लघु नहर स्तरीय समिति कहलायेगी । इनके आउटलेट के सिंचाई क्षेत्र की सिंचाई हेतु निर्मित चैनेल ही फील्ड चैनेल कहलायेगी ।

(ढ) भी.एल.सी. का अर्थ है ग्राम स्तर पर लाभान्वित किसानों द्वारा विधिवत गठित समिति ।

(ण) सहमति ज्ञापन का अर्थ है समिति के प्रतिनिधि एवं नहर प्रभारी कार्यपालक अभियंता (सरकार के प्रतिनिधि) द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एकरारनामा ।

(त) ''काडा'' का अर्थ है विहित अध्यादेशाधीन गठित क्षेत्र विकास अभिकरण ।

(थ) कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग का अर्थ है काडा प्रक्षेत्र की गतिविधियों के नियंत्रण हेतु अधिघोषित प्रशासी विभाग ।

(द) ओ.एफ.डी. कार्य का अर्थ है औन फार्म डेभलपमेन्ट कार्य जिसमें शामिल है, माइक्रो लेवेल पर कन्टूर सर्वेक्षण, मिट्टी सर्वेक्षण, आयोजन, क्षेत्र प्रणाली एवं उसके आवश्यक संरचनाओं का निर्माण, जल निकासी नाली का निर्माण, खेतों का पुनः रेखांकण एवं चकबंदी, भूमि समतलीकरण, बाराबंदी योजना तैयार कर लागू करना आदि ।

(ध) माइक्रो लेवेल का अर्थ है एक घनसेक या उससे कम के आउटलेट के नीचे का सिंचाई कमांड क्षेत्र ।

(न) माइक्रो लेवेल का अर्थ है प्रासंगिक नहर के शीर्ष से अपने कमांड के अन्दर एक घनसेक के आउटलेट के ऊपर की सभी वितरण प्रणालियाँ ।

(प) ग्रामीण स्तर पर सामान्य (आम) सदस्य का अर्थ है, ग्रामीण स्तर पर सभी लाभान्वित कृषक, जो समिति के सदस्य हैं । प्रणाली स्तर पर सामान्य (आम) सदस्य का अर्थ है प्रत्येक ग्राम की समिति के अध्यक्ष । इनके द्वारा गठित समिति सामान्य निकाय (जेनेरल बॉडी) कहलायेगी ।

(फ) ग्रामीण स्तर पर कार्यकारिणी समिति का अर्थ है ग्रामीण स्तर के आम सदस्यों द्वारा चयनित/मनोनीत ग्रामीण स्तर के कार्यकारी पदाधिकारियों की समिति और प्रणाली स्तर पर कार्यकारिणी समिति का अर्थ है, समिति स्तर के आम सदस्यों, जो प्रत्येक गाँव के अध

यक्ष हैं, द्वारा प्रणाली स्तर पर चयनित/मनोनीत कार्यकारी पदाधिकारियों की समिति ।

(ब) कमांड का अर्थ है, प्रासंगिक सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत सिंचित हो सकने वाला क्षेत्र ।

(भ) साल/वर्ष का तात्पर्य है, पहली अप्रील से 31 मार्च तक की अवधि, जो वित्तीय वर्ष भी कहलायेगी ।

(म) खरीफ मौसम का तात्पर्य उस कृषि मौसम से है जो 15 मई से शुरू होकर 31 अक्टूबर को समाप्त होता है अथवा समय-समय पर निर्गत विभागीय अधिसूचना के अनुसार ।

(य) रब्बी मौसम का तात्पर्य उस कृषि मौसम से है जो पहली नवम्बर से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है ।

(र) गर्मा मौसम का तात्पर्य उस कृषि मौसम से है जो पहली अप्रील से शुरू होकर 15 जून को समाप्त होता है अथवा समय-समय पर निर्गत विभागीय अधिसूचना के अनुसार ।

(ल) कानून का अभिप्राय है, समिति पंजीकरण कानून 1860, जो बिहार राज्य में लागू एवं बिहार सरकार तथा भारत सरकार के सिंचाई एवं कृषि विस्तार सेवा के निर्माण, संचालन, रख-रखाव एवं प्रबंधन से संबंधित कानून ।

(व) नियम का अभिप्राय है, समिति पंजीकरण कानून 1860 एवं अन्य के अन्तर्गत बिहार सरकार द्वारा तैयार किये गये नियम ।

(श) प्रपत्र का अर्थ है इस नियम के अनुलग्नक में रखा या विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रपत्र ।

(ष) इस नियमावली के उपबंध तद् प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होने पर भी प्रभावी होंगे ।

4 समिति गठन के उद्देश्य :

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.) कार्यक्रम के सिद्धांतों के अन्तर्गत समिति गठित करने के उद्देश्य निम्न प्रकार है :-

(क) जल संसाधन विभाग से नहर के एक निश्चित बिन्दु पर निर्धारित जलापूर्ति प्राप्त करना एवं प्राप्त जल को कृषकों के बीच सामान्य रूप से वितरित करना और/ या इससे संबंधित एजेंसी, विभाग को इस काम में मदद करना ।

(ख) नहर का रख-रखाव संपोषण करना, संबंधित एजेंसी या विभागों की सहमति से ऐसे कार्य को लेना, इसे करना/करवाना और इसके लिए भुगतान प्राप्त करना/करवाना ।

(ग) नहर के कमांड क्षेत्र में समुचित फसल योजना तैयार करना एवं उसके अनुसार जल वितरण योजना (बाराबंदी/तातील) तैयार कर उसे क्रियान्वित करना ।

(घ) फिल्ड चैनल एवं जल निकासी का निर्माण करना एवं उसका रख-रखाव एवं संचालन करना । इसके साथ-साथ पूर्व में या बाद में काडा या अन्य द्वारा बनाये या बनाये जाने वाले फील्ड चैनेल एवं इसकी संरचनाओं का संचालन करना एवं इनका रख-रखाव करना ।

(ड.) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम (ओ.एफ.डी.) को करना/कराना और वृक्षारोपण एवं पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना ।

(च) जल की बर्बादी को रोकना एवं सिंचाई जल का मितव्ययिता से उपयोग करना ।

(छ) सिंचित क्षेत्र की सही मापी करना ताकि किसी कृषक को इससे कोई शिकायत नहीं रहे ।

(ज) सिंचाई शुल्क की वसूली करना और इसके कमीशन को प्राप्त करना, जिसका प्रावधान नियमावली के अन्तर्गत हो और जो सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये ।

(झ) उपरोक्त से संबंधित मतभेदों का निबटारा करन ताकि समाज में समरसता बेहतर हो।

(ञ) कृषि एवं सिंचाई की नयी तकनीक को अपनाना ।

(ट) मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था करना ।

(ठ) अपने सदस्यों के लिए उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाईयों, उन्नत कृषि यंत्रो की व्यवस्था, मछली पालन एवं डेयरी फार्म आदि कार्यों को विकसित करना, उचित भंडारण, चक रोड एवं मार्केटिंग की व्यवस्था करना ।

(ड) कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।

(ढ) चकबंदी (ऐच्छिक चकबन्दी सहित) करना या सहयोग करना ।

(ण) अपने क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता एवं कृषकों की आय में वृद्धि हेतु उचित उपाय करना ।

(त) समिति के खर्च को पूरा करने के लिए संसाधन को सृजित करना एवं सरकार द्वारा समिति को दी गई किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी को निभाना ।

(थ) समय पर पर्याप्त मात्रा में अपने कमाण्ड क्षेत्र में जल आपूर्ति को निगाह में रखकर सिंचाई या अन्य कार्यों जैसे : चैनेल, तालाब, नाला, जलाशय, बांध, नलकूप इत्यादि की खुदाई एवं रख-रखाव के लिए खरीद/बिक्री या अन्य तरह से भूमि के अर्जन का प्रबंध करना ।

(द) वितरण के लिए औपरेशन प्लान तैयार करना एवं जल की आवश्यकता संबंधित मांग पदाधिकारी को देना एवं उसके कार्यान्वयन का प्रबोधन एवं मूल्यांकन करना आदि ।

5 नियमावली के उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई :

5.1 सम्यक् एवं प्रभावकारी कार्रवाई :

राज्य में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.) कार्यक्रम को बढ़ावा देने एवं कार्यान्वित करने हेतु सम्यक् एवं प्रभावी रूप से कार्रवाई की जायेगी ।

5.1.1 मार्गदर्शिका की तैयारी एवं प्रकाशन, संगठन :

(क) विभागीय कर्मियों के लिए :

उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा एक मार्गदर्शिका तैयार की जायेगी, जिसमें राज्य स्तर पर सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.) कार्यक्रम हेतु एक संचालन समिति, सचिवालय स्तर पर एक प्रकोष्ठ, राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति, प्रत्येक मुख्य अभियंता के स्तर पर एक पी.आई.एम. इकाई, प्रत्येक चयनित नहर प्रणाली स्तर पर एक क्षेत्रीय कार्यान्वयन दल एवं वाल्मी स्तर पर एक पी.आई.एम. इकाई के प्रभावी गठन एवं कार्यक्रम को राज्य में आगे बढ़ाने एवं कार्यान्वित करने हेतु व्यवहारिक तरीकों को परिभाषित किया जायेगा, जिसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी । समय-समय पर इसे इस प्रकार पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि कार्यक्रम की सफलता में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके ।

(ख) कृषक समितियों के लिए :

उद्देश्यों की प्राप्ति एवं कृषक समितियों के मार्गदर्शन हेतु एक सम्यक् मार्गदर्शिका की तैयारी एवं प्रकाशन विभाग द्वारा किया जायेगा ।

5.1.2 वाल्मी द्वारा प्रशिक्षण :

वाल्मी एक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा ।

5.1.3 कार्यक्रम को राज्य में कार्यान्वित करना :

(क) जल संसाधन विभाग द्वारा :

राज्य में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों का होगा, जो नहर प्रणाली के मैक्रो लेभेल में आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।परन्तु जहाँ मैक्रो लेभेल पर कार्रवाई विभाग द्वारा की जायेगी उसकी सूचना काडा के संबंधित पदाधिकारियों को उनके द्वारा दी जायेगी ताकि साथ-साथ माइक्रो लेभेल पर आवश्यक कार्रवाई काडा द्वारा सुनिश्चित की जा सके । विभाग एवं काडा के पदाधिकारी मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं नियमावली के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ।

(ख) माइक्रो लेभेल पर काडा द्वारा ओ.एफ.डी. कार्यों के विकास हेतु किए जाने वाले कार्य में वहाँ बनी ग्रामीण समिति का सहयोग लिया जायेगा । परन्तु जहाँ काडा द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है, उसकी सूचना तत्काल विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को काडा द्वारा दी जायेगी जिसके अनुसार मैक्रो लेभेल पर आवश्यक कार्रवाई विभाग द्वारा की जायेगी ।

5.2 कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरण प्रणाली का चयन एवं संयुक्त प्रयास :

जल संसाधन विभाग और/या काडा के क्षेत्रीय पदाधिकारी उपयुक्त विवरण प्रणाली का चयन करेंगे जिसकी सूचना वाल्मी को देंगे । तत्पश्चात क्षेत्रीय पदाधिकारी समिति गठन हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे । समुचित प्रशिक्षण/प्रत्यक्षण की व्यवस्था वाल्मी की देख-रेख एवं मार्गदर्शन में करेंगे । सिंचाई जल प्रबंधन की विभिन्न गतिविधियों में समिति को ऐसे सहभागी बनायेंगे ताकि समिति भरोसेमंद रूप से विकसित हो सकें एवं राज्य में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा घोषित नीति का पालन प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सकें ।

5.3 समिति का स्तर (टीयर)

यह दो स्तरीय होगी :

(क) प्रणाली स्तर समिति - यह निबंधित होगी एवं तद्नुरूप एक निगमित निकाय होगी ।

(ख) ग्राम स्तर समिति - यह समिति के कमांड क्षेत्र में पड़नेवाले सभी गाँवों के स्तर पर होगी, परन्तु निबंधित नहीं होगी और नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप समिति के प्रति उत्तरदायी होगी ।

(ग) प्रणाली स्तर की समिति के गठन की कार्रवाई जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित होगी, जब कि ग्राम स्तर की समिति के गठन की कार्रवाई काडा द्वारा जल संसाधन विभाग से आवश्यक विमर्श कर की जायगी । जिन सिंचाई प्रणालियों में काडा का गठन नहीं हुआ है, वहाँ गठन की जिम्मेवारी जल संसाधन विभाग की ही होगी ।

5.4.1 (क) नाम, कार्यक्षेत्र, मुख्यालय - समिति अपनी नहर के नाम, कार्य क्षेत्र एवं मुख्यालय द्वारा पहचानी जायेगी ।

(ख) समिति का कार्य क्षेत्र - नहर विशेष का सिंचाई कमांड, जिसमें समिति गठित की गई है, समिति का कार्य क्षेत्र होगा ।

(ग) समिति का मुख्यालय - समिति के कार्य क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर समिति का मुख्यालय रहेगा, जहाँ समिति से संबंधित सभी अभिलेख रखे जायेंगे जो सदस्यों, विभागीय पदाधिकारियों आदि के प्रसंग हेतु उपलब्ध रहेंगे ।

(घ) समिति के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी ग्रामों में ग्रामीण स्तर समिति का कार्यालय होगा, जहाँ ग्राम से संबंधित अभिलेख रखे जायेंगे, जो सदस्यों एवं अन्य के प्रसंग हेतु उपलब्ध रहेंगे ।

5.4.2 समिति कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख :

(i) समिति के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले नहर कमांड क्षेत्र के सभी ग्रामों का नक्शा जिसमें नहर का संरेखन, आउटलेट की स्थिति, आउटलेट कमांड क्षेत्र प्रणाली का संरेखन आदि अंकित रहेंगे ।

(ii) एक इंच बराबर एक मील के स्केल पर समिति के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले सभी ग्रामों को मिलाकर एक कमांड मैप एवं कन्टूर मैप ।

(iii) उपरोक्त (i) के नक्शे में नहर का कमांड क्षेत्र, अन्य सिंचाई माध्यमों से पटने वाले क्षेत्र, सिंचित नहीं होने वाले क्षेत्र, अंकित होंगे ।

(iv) सम्पति पंजी एवं अभिलेख ।

(v) नहर एवं संरचनाओं की जलीय विवरणी ।

(vi) वृक्ष, भवन आदि का अभिलेख ।

(vii) सदस्यता पंजी ।

(viii) भू-धारकों की सूची, कार्य विशेष के अनुरूप भू-धारकों के अतिरिक्त सदस्यों की सूची ।

(ix) शीर्ष पर एवं अन्य प्रमुख स्थलो पर जल-स्राव पंजी ।

(x) आउटलेट कमांडवार प्लाटों का क्षेत्रफल आदि पंजी ।

(xi) आउटलेटवार उगाये जाने वाली फसलों की विवरणी ।

(xii) कृषकवार माँग पंजी ।

(xiii) कार्य पंजी ।

(xiv) समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की पंजी ।

(xv) रोकड़ बही ।

(xvi) प्राप्ति रसीद पंजी ।

(xvii) चेक बुक पंजी ।

(xviii) सदस्यता शुल्क पंजी ।

(xix) विशेष चंदा पंजी ।

(xx) श्रमदान पंजी ।

(xxii) वसूली पंजी ।

(xxiii) अल्टरेशन एवं रेमिशन पंजी ।

(xxiv) सिंचाई पंजी ।

(xxi) बैठक बही ।

(xxv) विवाद एवं उनके निदान की पंजी ।

(xxvi) पारित संकल्प एवं उनका अनुपालन पंजी ।

(xxvii) शिकायत एवं सुझाव पंजी ।

(xxviii) अन्य पंजी जो समिति आवश्यक समझे ।

उपरोक्त पंजियों में से समिति अपनी ग्रामीण समिति कार्यालय में आवश्यक पंजी रखेगी ।

पंजियों के प्रारूप अनुलग्नक पर उपस्थापित हैं । अन्य का स्वरूप समिति आवश्यकतानुसार स्वयं निर्धारित करेगी ।

5.5 समिति का निबंधन :

सक्षम विभाग/ पदाधिकारी द्वारा ऐसी कृषक समिति को विशेष श्रेणी में रखते हुए प्राथमिकता देकर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत निबंधित किया जायेगा ।

निबंधन हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख रहेंगे :

(1) समिति की आम सभा का प्रस्ताव ।

(2) समिति का स्मृति पत्र, जिसका एक नमूना प्रपत्र-1 के साथ अनुलग्नित है ।

(3) समिति की नियमावली, जिसका एक नमूना प्रपत्र-2 के साथ अनुलग्नित है ।

(4) ग्राम स्तर समिति के गठन के लिए जल ससाधन विभाग/काडा के सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा समिति के आम सभा के प्रस्ताव के बाद एक स्मृति पत्र प्राप्त की जाय जिसका प्रारुप प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 के प्रणाली स्तरीय कृषक समिति प्रपत्र की भाँति होगी । ग्राम स्तर पर गठित समितियों की सूची एक रजिस्टर में जल ससाधन विभाग/काडा के सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा प्रमण्डलीय स्तर पर रखी जायगी ।

5.6 सहमति ज्ञापन पत्र :

इसका एक नमूना प्रपत्र-3 पर अनुलग्नित है, जिसे नियमावली के विस्तृत प्रावधानों के अन्तर्गत के समिति और सक्षम विभागीय पदाधिकारी की सहमति से कार्यान्वित किया जायेगा ।

5.6.1 संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार स्थिति विवरणी :

समिति एवं जल संसाधन विभाग के प्रभारी कनीय अभियंता/अवर प्रमंडल पदाधिकारी एक साथ मिलकर वितरणी प्रणाली की नहरों, प्रत्येक संरचना, वृक्षों आदि का सर्वेक्षण करेंगे और एक स्थिति विवरणी तैयार करेंगे, जिसमें इनकी वर्त्तमान स्थिति का सही उल्लेख होगा । यह विवरणी सहमति ज्ञान का अंग होगा । इन सभी सम्पदा की पूर्ण सुरक्षा एवं रख-रखाव का दायित्व समिति का होगा ।

5.7 प्रबंधन हस्तान्तरण :

सहमति ज्ञापन पत्र पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर के उपरान्त प्रबंधन हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूरी होगी ।

नहर प्रबंधन हस्तान्तरण : निबंधित समिति वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक सक्षम निगमित निकाय होगी जिसे नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप सहमति पत्र के अनुसार नहर प्रणाली सिंचाई जल प्रबंधन हेतु हस्तान्तरित की जायेगी और नियमावली में प्रदत्त अधिकार प्राप्त होंगे ।

5.7.1 नहर स्वामित्व : नहर, स्थायी संपत्ति यथा - वृक्ष, भवन आदि संबंधित विभाग की रहेगी परन्तु इसका उपयोग सहमति ज्ञापन के प्रावधानों के अनुरूप समिति द्वारा किया जायेगा ।

5.7.2 पंचायत से संबंध :

(क) बिहार पंचायत अधिनियम 1993 में दिये गये उपबंधों के अनुसार समिति, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पर्षद से भी उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सम्पर्क रखेगी जो समिति के उद्देश्यों के समान है ।

(ख) ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला पर्षद के पास सिंचाई विकास संबंधी निधि

उपलब्ध रहने पर इन संस्थाओं द्वारा कृषक समिति के समन्वय से कार्य कराया जायेगा जिसमें विभाग/काडा द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

(ग) समिति/ग्राम सिंचाई समिति के अध्यक्ष या उनके प्राधिकृत सदस्य अपने कमांड क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला पर्षद के पदेन सदस्य होंगे जो इन संस्थाओं से समिति के उभयनिष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समुचित समन्वय एवं सहभागिता सुनिश्चित करायेंगे । ऐसे सदस्यों की सूचना समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने कमांड क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न स्तर के पंचायत संस्थानों को दी जायेगी ।

ऐसे विनिर्दिष्ट सदस्य इन संस्थानों की बैठकों में भाग लेंगे, परन्तु ऐसे मानद सदस्यों की ऐसी बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होगा ।

उदाहरण: समिति के नियंत्रणाधीन नहर/जल संसाधन प्रक्षेत्र के कमांड क्षेत्र में जब एक जिला से अधिक अवस्थित हों, तो किसी एक जिला में समिति के अध्यक्ष स्वयं सदस्य होंगे, जबकि अन्य जिला के सदस्य के लिए समिति के अध्यक्ष समिति के अन्य सदस्य को प्राधिकृत करेंगे । ऐसा ही पंचायत समति एवं ग्राम पंचायत के लिए भी समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्यों को प्राधिकृत करेंगे।

5.8 ओ.एफ.डी. कार्य योजना

प्रत्येक फसल मौसम में, विशेषकर रब्बी में समुचित सिंचाई तथा जल के उपयोग में मितव्ययिता के लिए सिंचाई नालियों (फिल्ड चैनल) एवं अन्य प्रक्षेत्र विकास कार्य (ओ. एफ.डी.) का निर्माण आवश्यक है, इसके लिये प्रत्येक ग्रामीण स्तर समिति द्वारा अपने-अपने ग्राम के लिए योजना बनायी जायेगी, जिसे वैज्ञानिक ढंग से कमांड क्षेत्र विकास एजेन्सी द्वारा अंतिम स्वरूप प्रदान किया जायेगा और ग्रामीण स्तर समिति द्वारा इसे कार्यान्वित कराने की कार्रवाई की जायेगी ।

5.8.1 ऐच्छिक चकबंदी :

समिति द्वारा ऐच्छिक चकबंदी हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे । ऐच्छिक चकबंदी के क्रम में निम्न कोटि की भूमि का सुधार, लेभलिंग, जल निकासी की व्यवस्था, मिट्टी का सुधार आदि कराना आवश्यक होगा । उपरोक्त कार्य में कमांड क्षेत्र विकास एजेन्सी, कृषि विभाग, शोध संस्थान एवं अन्य विकास करने वाली संस्थाओं की सहायता समिति को नि:शुल्क प्राप्त होगी ।

5.8.2 काडा की भूमिका :

कमांड क्षेत्र विकास एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि अपने कमांड क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करायें । सूक्ष्म स्तरीय ओ.एफ.डी. एवं अन्य कमांड क्षेत्र विकास कार्य कराने हेतु ग्राम स्तर के समितियेां की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी । ये कार्य समिति के सामान्य निकाय एवं कार्यकारणी समिति से पारित प्रस्ताव के अनुसार जायेगें ।

5.9 तकनीकी सहयोग :

जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग तथा काडा की ओर से हर संभव तकनीकी सहयोग समिति को दिया जायगा ।

जल संसाधन विभाग काडा के कर्मचारी तथा पदाधिकारी नहर संचालन, सिंचाई शुल्क आकलन एवं वसूली की प्रक्रिया तथा अभिलेख संधारण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण समिति को देंगे एवं समिति के कार्यो में सहयोग देंगे ।

(क) विभाग द्वारा कनीय अभियंता की सेवा समिति को :

समिति की मांग पर जल संसाधन विभाग द्वारा दोनों पक्षों द्वारा सहमत अवधि के लिए एक कनीय अभियंता की सेवा समिति को उपलबध कराई जायेगी जो समिति के निदेशानुसार कार्य करेंगे, परन्तु इनके वेतन आदि का भुगतान सरकार द्वारा किया ।

(ख) कर्मचारियों की सेवा समिति को :

समिति के कार्यालय कार्य हेतु सहमत अवधि के लिए उपयुक्त एक-दो कर्मचारियों की सेवा समिति को विभाग द्वारा उपलबध करायी जायेगी, परन्तु इनके वेतनादि का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(ग) काडा द्वारा कृषिविद् आदि की सेवा समिति को :

काडा द्वारा कृषि कार्यों के लिए कृषि पदाधिकारी एवं सामाजिक आर्थिक कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की सेवा सहमति ज्ञापन में सहमत अवधि के लिए समिति को उपलब्ध कराई जायेगी, परन्तु इनके वेतन आदि का भुगतान काडा द्वारा किया जायेगा ।

(घ) प्रशिक्षण वाल्मी द्वारा :

समिति द्वारा टिकाऊ एवं सक्षम रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था वाल्मी और/या अन्य के माध्यम से जल संसाधन विभाग और/या काडा द्वारा की जायेगी ।

5.9.1 वृक्षारोपण/सहायक उद्योग :

नहर की जमीन पर वृक्षारोपण तथा भूमिहीनों एंव छोटे किसानों के लिए सहायक उद्योग की संभावना पर भी समिति विचार करेगी और सरकार द्वारा इस प्रकार के कार्यो के लिए मिलने वाली सहायता समिति के कार्यक्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर मिलेगी ।

5.9.2 टेलीफोन/बेतार केन्द्र :

वितरण प्रणाली में टेलीफोन तथा बेतार यंत्र की समुचित व्यवस्था प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध ाता के अनुसार, सरकार द्वारा की जायेगी, परन्तु इसका रख-रखाव एवं संचालन का दायित्व समिति पर होगा ।

5.10 प्रोत्साहन :

समिति की मांग पर, प्रभावकारी ढंग से उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग और इसकी बरबादी रोकने एवं अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए, भारत सरकार, विश्व बैंक आदि से इस प्रकार की कार्रवाई के लिए जब कभी भी कोई अनुदान प्राप्त होगा तो ऐसे अनुदान एवं सुविधाएं समिति को भी दी जायेगी ।

5.11 अतिक्रमण :

नहरों की बांध के अंदर और चार्ट भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण, रूकावट या निर्माण समिति नहीं होने देगी और इसका रख-रखाव बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 में दिये गये उपबंधों के अनुसार किया जायेगा । वर्त्तमान में जो अतिक्रमण एवं रूकावट हैं उसकी सूची विभागीय अधिकारी समिति के साथ संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर बनायेंगे तथा उसे सरकारी अधिकारी नियमानुसार दूर करायेंगे, ताकि नहरों की पूर्ण क्षमता से संचालन में कोई अवरोध नहीं रहे ।

5.12 सेवा पथ का उपयोग :

नहरों के सेवापथ के रख-रखाव का दायित्व समिति का होगा जिस पर सरकारी अधिकारियों को भी चलने कापूर्ण अधिकार होगा ।

5.13 कार्यक्रम का प्रबोधन :

समिति ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि नहर संचालन योजना का अनुपालन सही ढंग से हो । इसका प्रबोधन नियमित ढंग से समिति एवं ग्रामीण स्तर समिति करेगी एवं प्रत्येक मासिक बैठक में भी इसका प्रबोधन होगा ।

5.13.1 समिति की स्थिति की गहन समीक्षा :

तीन वर्षो के बाद गहन अध्ययन :

वितरण प्रणाली का प्रबंधन कृषक समिति को सौंपने के तीन वर्षों के बाद इस बात का गहन अध्ययन जल संसाधन विभाग/काडा द्वारा किया जायेगा कि कृषक समिति अपने उद्देश्यों में सफल हुई अथवा नहीं और इसके आधार पर एक प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपस्थापित किया जायेगा । उस समय यदि यह पाया गया कि समिति अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुई है तो वितरण प्रणाली का प्रबंधन वापस लेने पर सरकार विचार करेगी ।

5.13.2 प्रबंधन का सरकार द्वारा पुनः अधिग्रहण :

निम्नलिखित परिस्थितियों में सरकार द्वारा प्रबंधन के पुनः अधिग्रहण का अधिकार होगा ।

(क) यदि समिति लगातार क्रियाशील नहीं पाई गई,

(ख) आपसी अन्तर्कलह की स्थिति में जिससे आम कृषक का हित बाधित हो,

(ग) जान बूझकर की गई वित्तीय अनियमितता एवं असंतोषजनक लेखा संधारण पाये जाने पर,

(घ) प्रणाली के पुनरोद्धार/विस्तार हेतु सरकारी निर्णय के अनुसार,

(ड.) नहरों के संचालन, संपोषण तथा सरकार को जमा की जाने वाली वार्षिक राशि के प्रति समिति की उदासीनता परिलक्षित होने पर,

(च) समिति द्वारा नहर प्रबंधन का कार्य छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने पर ।

5.13.3 प्रबंधन अवधि का विस्तार :

अगर समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समिति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो रही है तो प्रबंधन अवधि का विस्तार परस्पर सहमति से अगली अवधि तक किया जायेगा ।

5.14 कानूनी कार्रवाई :

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति कार्यकारिणी समिति की सलाह से की जायेगी ।

6 समिति का गठन एवं संचालन प्रक्रिया :

6.1 सदस्यता :

ग्राम सिंचाई समिति का सदस्य वही हो सकता है जिसका सिंचित खेत उस ग्राम में हो । एक से अधिक गाँवों में खेत रखने वाले किसान एक से अधिक गाँवों के ग्राम सिंचाई समिति के सदस्य हो सकते हैं, परन्तु किसी एक ही गाँव की कार्यकारिणी में पदधारक हो सकते हैं । वोट देने का अधिकार उस गाँव में भी होगा जिसके वे सदस्य हैं ।

6.1.1 सदस्यों की सूची :

सदस्यों की एक स्थायी सूची-पुस्तिका होगी जिसमें सदस्यों का पूरा नाम पता उनका व्यवसाय अंकित रहेगा एवं जो भी व्यक्ति इसके सदस्य होंगे वे सदस्यों की इस सूची-पुस्तिका में हस्ताक्षर करेंगे ।

6.1.2 सदस्यों का पता बदलाव :

सभी सदस्य अपने पता के बदलाव की सूचना, यदि कोई हो, सचिव को देंगे जो उस नये पते को सदस्यों की सूची-पुस्तिका में अंकित करेंगे । जब भी जरूरत हो सदस्यों की सूची को सुधार करने का दायित्व सचिव का होगा ।

6.2 ग्राम सिंचाई समिति का गठन :

सिंचाई प्रणाली कमाण्ड के सभी ग्रामें में लाभान्वित सदस्य कृषकों द्वारा एक ग्राम सिंचाई समिति का गठन किया जायेगा । समिति के गठन में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि इसमें महिला वर्ग एवं गरीब तबके के किसानों का उचित प्रतिनिधित्व हो । काडा एवं जल संसाधन विभाग आपस में तालमेल कर ग्राम स्तर सिंचाई समिति के गठन में समुचित सहयोग देगें ।

6.2.1 ग्राम सिंचाई समिति की कार्यकारिणी समिति :

मनोनयन या निर्वाचन द्वारा प्रत्येक ग्राम में 11 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति का गठन सदस्य कृषकों द्वारा किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं छः सामान्य सदस्य होंगे ।

6.2.2 ग्राम सिंचाई समिति की कार्यकारिणी का कार्यकाल :

ग्रामीण स्तर कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा तथा समिति का कोई भी सदस्य लगातार दो कार्यकारी सत्र अर्थात छः वर्षो के लिए ही समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकेंगे ।

6.3 समिति का गठन :

6.3.1 प्रथम सदस्य :

समिति के संलेख के हस्ताक्षर कर्त्ता समिति के प्रथम सदस्य होंगे एवं समिति के नियम एवं कानूनों के मुताबिक सामान्य निकाय(जेनरल बाडी) के लिए चुनाव/मनोनयन होने तक बने रहेंगे ।

6.3.2 समिति की सामान्य निकाय (जेनरल बाडी) :

सभी ग्राम सिंचाई समिति के अध्यक्ष, प्रणाली स्तर समिति के आम सदस्य होंगें । सभी आम सदस्य सम्मिलित रूप से प्रणाली स्तर पर सामान्य निकाय का गठन करेंगे ।

6.3.3 समिति स्तर पर कार्यकारिणी समिति :

समिति स्तर पर सामान्य निकाय के सदस्य अपनी पहली बैठक में एक कार्यकारिणी समिति का गठन मनोनयन या चुनाव द्वारा करेंगे जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

1.	अध्यक्ष	एक
2.	उपाध्यक्ष	दो
3.	सचिव	एक
4.	कोषाध्यक्ष	एक
5.	सदस्य	छः

6.3.4 समिति की कार्यकारिणी का कार्यकाल :

इनका कार्यकाल तीन वर्षो का होगा तथा कोई भी पदाधिकारी लगातार दो कार्यकारी सत्र अर्थात छः वर्षो से अधिक के लिए पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित/मनोनीत नहीं होगा ।

6.4 सर्वसम्मति से समिति का गठन :

हर संभव प्रयास किया जाएगा कि ग्राम सिंचाई समिति स्तर या समिति स्तर पर गठन का कार्य मनोनयन द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो और इसमें ऐसे ही व्यक्ति नेतृत्व प्रदान करें

जिनमें निष्ठा एवं समर्पण भाव हो । अपरिहार्य स्थितियों में ही बहुमत से चुनाव होगा ।

6.5 बैठकें :

6.5.1 वार्षिक बैठक :

बीते हुए साल की समिति के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा या अन्य कोई कार्य जो कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा, को पारित करने हेतु समिति की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक प्रत्येक साल में एक बार माह अप्रील के अन्त होने से पहले होगी ।

6.5.2 सामान्य बैठक :

संलेख में वर्णित किसी भी कार्य के सम्पादन हेतु प्रत्येक माह में कम से कम दो बार कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक होगी

6.5.3 आवश्यक बैठक :

जब कभी आवश्यकता होगी, कार्यकारिणी समिति या सामान्य निकाय की बैठक होगी बशर्ते कि इसकी सूचना सचिव द्वारा, जैसी परिस्थिति हो, कम से कम सात दिन पहले दी गई हो ।

6.5.4 प्रार्थित बैठक :

यदि सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने की आवश्यकता महसूस हो तो इसकी सूचना बैठक के उद्देश्य को निर्दिष्ट करते हुए पूरे सदस्य शक्ति के 1/3 भाग द्वारा हस्ताक्षरित करवा कर सचिव के कार्यालय को अग्रसारित किया जायेगा । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सचिव/सामान्य निकाय/कार्यकारिणी समिति, जैसी परिस्थिति हो, बैठक बुलाने की दिशा में कार्रवाई करेंगे । अगर मांग किये जाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर मांग की गई बैठक नहीं बुलाई जाती है तो मांग करने वाली सामान्य निकाय के सभी सदस्यों को सूचना जारी कर स्वयं बैठक बुला सकते हैं तथा बहुमत से निर्णय ले सकते हैं ।

6.5.5 बैठक की सूचना :

सामान्य समुदाय की बैठक की सूचना बैठक के 15 दिन पूर्व दी जायेगी जिसमें बैठक का स्थान, तिथि, समय एवं विषय सूची अंकित रहेंगे । सभी सदस्यों को सूचना डाक से या पत्रवाहक द्वारा दिया जायेगा ।

कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व डाक या पत्रवाहक द्वारा दी जायेगी ।

6.5.6 कोरम

(क) सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या :

बैठक के निर्धारित समय से 30 मिनट के अन्दर सामान्य समुदाय/कार्यकारिणी समिति/ग्राम सिंचाई समिति की पूर्ण शक्ति के कम से कम एक तिहाई से अधिक सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा बैठक की कार्यवाही संचालित नहीं की जायेगी ।

(ख) जब बैठक में सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या उपस्थित नहीं हो :

जब सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या (एक तिहाई से अधिक) उपस्थिति नहीं हो तो सदस्यों द्वारा मांग की गई बैठक को भंग कर दिया जायेगा एवं अन्य किसी परिस्थिति में इसके अगले सप्ताह में उसी जगह एवं उसी समय के लिए स्थगित कर दिया जायेगा ।

वैसी स्थगित बैठक में सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या की कोई आवश्यकता नहीं होगी एवं जो सदस्य उपस्थित होंगे वे बैठक की कार्यवाही उस उद्देश्य के लिए संचालित करेंगे जिसके लिए वह बैठक बुलाई गई थी।

6.5.7 बैठक में वोट देने की विधि :

सभी विवादास्पद प्रश्न, जो बैठक में उपस्थापित किये गये हों का निर्णय हाथ उठाकर मत देने की प्रक्रिया द्वारा लिया जायेगा । परन्तु जब प्रश्न के पक्ष एवं विपक्ष में समान मत प्राप्त हो, तो अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्णायक वोट दे सकते हैं ।

6.5.8 एक सदस्य एक वोट :

एक सदस्य को सिर्फ एक वोट देने का अधिकार होगा, ज्यादा नहीं । वोट सदस्य को स्वयं देना होगा ।

6.5.9 त्याग-पत्र :

सामान्य निकाय/कार्यकारिणी समिति/ग्राम सिंचाई समिति के सदस्यों का त्याग पत्र सामान्य निकाय के अध्यक्ष को दिया जायेगा एवं यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक इसे सामान्य निकाय द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाय ।

6.5.10 त्याग पत्र के कारण कार्यवाही अवैध नहीं :

सदस्यों के त्याग पत्र देने या किसी अन्य आकस्मिक परिस्थिति में सामान्य समुदाय कार्यकारिणी समिति, ग्राम सिंचाई समिति की पूर्ण शक्ति नहीं रहने के बावजूद भी सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति एवं ग्राम सिंचाई समिति की कार्यवाही अवैध नहीं होगी, अगर सदस्य के चुनाव/नियुक्ति में देरी उपरोक्त कारण से हुआ हो ।

6.5.11 सदस्य के बदले उनका प्रतिनिधि :

अगर ग्राम सिंचाई समिति के अध्यक्ष की सामान्य निकाय की बैठक में भाग नहीं लेने की संम्भावना हो तो वे ग्राम सिंचाई समिति के किसी सदस्य को लिखित रूप से बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं । परन्तु वैसी स्थिति में वह प्राधिकृत व्यक्ति सामान्य निकाय की बैठक में वोट देने के अधिकारी नहीं होंगे।

6.5.12 बैठक की कार्यवाही :

बैठक की सभी कार्यवाही को एक पंजी में अंकित किया जायेगा एवं इसकी सम्पुष्टि अगली बैठक में की जायेगी ।

6.5.13 अध्यक्ष द्वारा घोषणा के पश्चात प्रस्ताव पारित :

किसी भी बैठक में किसी प्रस्ताव को पारित होने की अध्यक्ष द्वारा घोषणा और कार्यवाही की विवरणी की पुस्तिका में निर्णय का अंकण, उस प्रस्ताव के पारित होने का प्रमाण होगा ।

6.6 समिति के सामान्य निकाय की शक्तियाँ एवं अधिकार :

6.6.1 कार्यकलापों को चलाना और प्रबंधित करना :

समिति की कार्यवाही एवं कार्यकलाप सामान्य निकाय द्वारा इसप्रकार चलाया और प्रबंधित किया जायेगा जेसा कि अपना नियम एवं उपनियम समय-समय पर सामान्य निकाय द्वारा तैयार किया गया हो ।

6.6.2 सामान्य निकाय की शक्तियाँ :

उपरोक्त नियम 6.6.1 के प्रावधान का बिना हनन किये हुए सामान्य निकाय की शक्तियाँ निम्नलिखित होगी :

(क) समिति के सभी कार्यकलाप एवं कोष का प्रबंधन : समिति के कोष, सम्पत्ति एवं कार्यों का प्रबंधन, जिसे वह कार्यकारिणी समिति/ग्राम सिंचाई समितियों/अन्य की मदद से सम्पादित करायेगी ।

(ख) समिति की ओर से एग्रीमेंट, निविदा एवं कागजात को तय करना, दर्ज करना एवं कार्यान्वित करना एवं वैसे एग्रीमेंट निविदा एवं कागजात को बदलना एवं प्राप्त करना जो समिति के हित में हो ।

(ग) अपने कार्य क्षेत्र की सिंचाई एवं किसी संबंधित सभी विषयों पर सरकार को सलाह देना ।

(घ) वैसी सलाहकार समिति या अन्य विशेष समिति उप समिति का गठन, उन उद्देश्यों के लिए एवं उन शक्तियों के साथ करना जिसे सामान्य निकाय निर्धारित करें एवं साथ ही वैसे स्थापित किसी समिति/उप समिति या सलाहकार समिति को भंग करना जो समिति के हित में वांछित नहीं हो ।

(ड.) वार्षिक, नियमित या पूरक आय-व्यय प्राककलन एवं समिति के वार्षिक आय एवं व्यय लेखा का अनुमोदन करना ।

(च) समिति के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार एवं ग्रहण करना ।

(छ) समिति की कार्यवाही एवं कार्यकलाप को अधिक दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु उप-कानून बनाना, जो इस नियम से मेल खाता हो एंव समिति के स्मृति-पत्र में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक, आकस्मिक या सहायक हो, वैसी सभी प्रकार की कार्रवाई करना ।

6.6.3 समिति की मोहर एवं इसकी सुरक्षा :

सामान्य निकाय समिति के मोहर के तौर पर काम आने हेतु एक मोहर बनवायेगी तथा उसके सुरक्षित रख-रखाव हेतु प्रबंध करेगी । समिति की मोहर सामान्यतया प्राधिकृत प्रस्ताव के सिवा किसी भी अन्य इन्स्ट्रूमेंट में उपयोग में नहीं लायी जायेगी।

(क) एकरारनामा में मोहर का उपयोग :

सिवाय इसके कि समिति के उप-कानून में इसके विपरीत कोई उपबंध हो, सभी एकरारनामा एवं सम्पत्ति का आश्वासन, जो समिति की ओर से किया गया है, समिति के मोहर के तहत होगा एवं समिति की ओर से समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

6.7 अध्यक्ष के कर्त्तब्य एवं अधिकार :

सामान्यतया सामान्य निकाय एवं कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, पक्ष या विपक्ष में समान मत होने की सिथिति में अपना निर्णायक मत देना, बैठक की कार्यवाही पर अपना हस्ताक्षर करना ।

अध्यक्ष समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे । ऐसे सभी विषयों पर सामान्य निकाय द्वारा निश्चित निदेश नहीं दिये जाने तक सचिव विश्वासपूर्वक इनका पालन करेंगे।

6.8 उपाध्यक्ष के कर्त्तब्य एवं अधिकार :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कर्त्तब्यों एवं दायित्वों का पालन उपाध्यक्ष करेंगे ।

6.9 सचिव के कर्त्तब्य एवं अधिकार :

समिति के सामान्य प्रबंधन एवं क्रिया-कलाप की देखभाल सचिव सामान्य निकाय के निर्देश में करेंगे एवं पत्राचार संबंधी सभी कार्य करेंगे । जब भी जरूरत हो, सचिव सामान्य निकाय एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलायेंगे । सामान्य निकाय एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे । समिति के सभी अभिलेखों को सचिव निर्धारित जगह पर रखेंगे या रखवायेंगे ।

6.10 कोषाध्यक्ष के कर्त्तब्य एवं अधिकार :

कोषाध्यक्ष उचित लेखा एवं अन्य संबंधित अभिलेख रखेंगे एवं वार्षिक लेखा विवरणी, बैलेन्स सीट के साथ निर्धारित फार्म में, जैसा कि कानून में प्रावधान हो, समिति के अंकेक्षण की सलाह से तैयार करायेंगे ।

7 सिंचाई जल प्रबंधन के लिए प्रकिया :

सिंचाई प्रबंधन के अवयव :

इसमें सम्मिलित हैं, नहर संचालन, उपलब्ध जल का वितरण, नहरों की मरम्मती एवं रख-रखाव, सिंचाई शुल्क का आकलन एवं वसूली, विवादों का निबटारा, कृषि तथा उत्पादकता में वृद्धि ।

7.1 आवेदन :

7.1.1 प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के पास बिहार सिंचाई अधिनियम'97 की धारा 51/53 के अन्तर्गत जलापूर्ति के लिए समिति द्वारा आवेदन दिया जायेगा, जिसकी अवधि 5 वर्षों के लिए वैद्य रहेगी ।

7.1.2 ऐसा आवेदन, प्रपत्र संख्या-4 जो इस नियमावली के साथ अनुलग्नित है, में दिया जायेगा ।

7.1.3 ऐसा आवेदन यथा संभव 31 मार्च या प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत तिथि के अनुसार समर्पित किया जायेगा ।

7.1.4 प्रपत्र संख्या-4 का आवेदन निबंधित समिति के अध्यक्ष या सचिव के साथ-साथ ग्रामीण स्तर समिति के वैसे अध्यक्षों के हस्ताक्षर के साथ होगा जिनके गाँवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध ा करानी है ।

परन्तु जहाँ ग्रामीण स्तर समिति किसी कारण गठित नहीं है, तो उस गाँव के लिए भी समिति के अध्यक्ष या सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे जिसे समिति सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है ।

7.2 पट्टा :

प्रपत्र संख्या-5, जो इस नियमावली के साथ अनुलग्नित है, पर पट्टे की अनुमति प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी ।

समिति के अध्यक्ष या सचिव एवं पूर्ण वितरण प्रणाली के सिंचाई क्षेत्र के गाँवों के अध यक्ष या कंडिका 7.1 (4) में उक्त के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन जिसे प्रमंडलीय नहर पदाधि ाकारी द्वारा मंजूर किया जायेगा, उपरोक्त अनुमति पत्र जो नहर पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा, मिलकर पट्टा का अभिलेख बनायेंगे एवं प्रत्येक पट्टा सहमति ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में दिये गये शर्तो के अनुरूप होगा ।

7.3 नहर संचालन :

7.3.1 समिति द्वारा व्यवस्था :

समिति निश्चित अवधि के लिए पट्टा पाने के बाद सुचारू रूप से नहर संचालन के लिए सभी कार्रवाईयों की उचित व्यवस्था करेगी ।

7.3.2 मान्य तातील के अनुसार औसत जलश्राव :

जल संसाधन विभाग के अधिकारी मान्य तातील के अनुसार सही समय पर उचित मात्रा में जल की आपूर्त्ति विवरणी के शीर्श नियामक (वह बिन्दु जहाँ से व्यवस्था समिति को दी गई है) पर करेंगे । जलश्राव गत तीन वर्षो के औसत जलश्राव से कम नहीं होगा । असामान्य स्थितियों में भी यह प्रयास होगा कि औसत जलश्राव से 10 प्रतिशत से कम जल की आपूर्त्ति नही हो । आपूरित जल की मात्रा को दोनों पक्षों द्वारा रजिस्टर में प्रतिदिन अंकित कर हस्ताक्षर किया जायेगा ।

7.3.3 नहर संचालन योजना :

ग्राम सिंचाई समिति की राय से समिति प्रणाली के अन्दर प्रभावी एवं तर्कसंगत नहर संचालन योजना तय करेगी ताकि कमांड क्षेत्र के प्रत्येक भाग में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी उपयुक्त समय पर उपलब्ध हो सके ।

7.3.4 जल का मितव्ययी उपयोग :

समिति के सहयोग से ग्राम सिंचाई समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जल का उपयोग मितव्ययिता के साथ हो, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई हो एवं जल की बर्बादी नहीं हो ।

7.3.5 फसल चक्र के अनुसार वितरित जल माँग :

वांछित फसल चक्र एवं खेती की विभिन्न गतिविधियों का कार्यक्रम जिला एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा नहर पदाधिकारी की सलाह से समिति एवं ग्राम सिंचाई समिति मिलकर इस प्रकार तय करेगी कि जल की मांग समय के साथ वितरित हो और एक ही बार सब जगह अधिकतम मांग नहीं हो ताकि वर्त्तमान में उपलबध जल की मात्रा से सारे क्षेत्र में सही ढंग से सिंचाई हो सके ।

7.3.6 समिति, ग्राम सिंचाई समिति द्वारा उचित संचालन :

नहर प्रणाली, फिल्ड चैनल, चक्र रोड एवं जल निकासी के उचित संचालन का उत्तरदायित्व ग्राम सिंचाई समिति और समिति का होगा ।

7.3.7 जल अभाव की स्थिति में जल की राशनिंग :

सुखाड़ एवं पानी की कमी की अवस्था में जल के महत्तम उपयोग हेतु समिति वांछित राशनिंग इस प्रकार करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में फसल बचायी जा सके, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जायेगा ।

7.3.8 जल की कमी की स्थिति में समानुपातिक वितरण :

यदि नदी के जलाशय एवं डायभर्शन के स्थान पर किसी वर्ष जल की कमी होगी तो समानुपातिक ढंग से इस वितरण प्रणाली में घटाया हुआ जल उपलब्ध होगा, जिस हेतु समिति को जल संसाधन विभाग के अधिकारी समय पर सूचना देंगे ।

7.3.9 अत्यधिक वर्षा के लिए जल निकासी :

अत्यधिक वर्षा के समय अधिक जल की निकासी की समुचित व्यवस्था ग्राम सिंचाई समिति एवं प्रणाली स्तर समिति करेगी, जिससे नहरों एवं फसलों को क्षति नहीं हो । ऐसी अवस्था में समिति की मांग पर विधि एवं व्यवस्था के अधिकारी भी आवश्यक सहायता उसी प्रकार प्रदान करेंगे जैसा सरकारी विभाग के साथ ।

7.3.10 समुचित संचालन :

नहर प्रणाली को पट्टे पर लेने के बाद समिति अपने साधन से इसका सही ढंग से संचालन तथा इसका रख-रखाव इस प्रकार करेगी कि जहाँ तक हो, नहरें टूटे नहीं और न हीं इसमें किसी प्रकार का क्षरण हो, बल्कि इनका क्रमशः सुधार हो ताकि सुदूरस्थ छोर में भी पानी सही ढंग से पहुँचाया जा सके ।

7.3.11 मछली पकड़ने पर रोक :

नहरों को सही ढंग से संचालन के लिए नहरों में मछली पकड़ने के कार्य पर रोक होगी ताकि मछली पकड़ने के नाम पर किसी प्रकार की क्षति न तो नहरों को पहुँचने और न जल वितरण बाधित हो ।

7.3.12 सिंचाई पंजी :

पट्टा में किये गये सिंचाई का लेखा जोखा समिति उचित ढंग से रखेगी । वह ऐसी व्यवस्था करेंगी कि प्रत्येक खेत की प्रत्येक सिंचाई के बाद ग्राम सिंचाई समिति स्तर पर रखी गई पंजी में किसानों या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर लिया जाय जिससे इसमें किसी प्रकार विवाद पैदा नहीं हो । यह पंजी सिंचाई शुल्क के आकलन एवं सरकारी दर पर वसूली के लिए आधार होगा । इस पंजी में प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल, किसानों का नाम, सिंचाई की तिथि एवं किसानों/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर आदि अंकित रहेगा ।

7.4 नहरों की मरम्मती एवं रख-रखाव :

7.4.1 ओ.एफ.डी. कार्यो की मरम्मति/रख-रखाव :
नहर प्रणाली, फिल्ड चैनेल, चक रोड, जल निकासी नाले एवं अन्य ओ.एफ.डी. कार्यों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व समिति का होगा ।

7.4.2 नहरों की मरम्मती :
नहरों की मरम्मती एवं संपोषण समिति द्वारा इस प्रकार किया जायेगा ताकि ये मानक विशिष्टि एवं रूपांकण के अनुसार बने रहें ।

7.4.3 मरम्मती कार्यों के लिए विभाग द्वारा प्राथमिकता :
वाक् थ्रू सर्वेक्षण क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा, जिसके लिए प्राथमिकता का निर्धारण समिति की सामान्य निकाय द्वारा किया जायेगा । इसके अनुसार नहर प्रबंधन हस्तान्तरण के पूर्व नहरों की बड़ी टूटानों को विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर यथासंभव इस प्रकार मरम्मत कराया जायेगा ताकि जल शीर्ष से अन्त तक पहुँच सके ।

7.4.4 मरम्मती कार्य विभागीय रूप में :
कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रबंधन हस्तान्तरण के पूर्व चयनित वितरण प्रणाली की वैसी मरम्मती कार्य जिसमें विशेष दक्ष मजदूर और मशीन की आवश्यकता नहीं हो विभागीय तौर पर कराये जायेंगे और, ऐसे कार्यो की देख-रेख समिति द्वारा इस प्रकार की जायेगी ताकि कार्य विशिष्ट के हों और मजदूर आदि का उपयोग वे इस प्रकार सुनिश्चित करायेंगे ताकि हानि नहीं हो ।

7.4.5 प्राकृतिक आपदा :
प्राकृतिक आपदा से होने वाली नहर की क्षति की पूर्त्ति सरकार द्वारा की जायेगी ।

7.4.6 प्रत्येक फसल मौसम के बाद मरम्मती :
प्रत्येक फसल मौसम के बाद नहर की बाँध, संरचनाओं, फाटकों को उठाने वाली व्यवस्था आदि का रख-रखाव और मरम्मती इस ढंग से समिति द्वारा की जायेगी कि इसकी उपयोगिता बनी रहे ।

7.5 सिंचाई शुल्क आंकलन एवं वसूली :

7.5.1 वसूली के लिए विभाग द्वारा समिति अधिकृत :
बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 के प्रावधानों के तहत जल संसाधन विभाग समिति के अध्यक्ष/सचिव को प्राधिकृत करेगी कि वे सिंचाई शुल्क वसूली उस क्षेत्र से करें जो पूर्व से इस वितरण प्रणाली से सिंचित होता आ रहा है ।

7.5.2 सिंचाई शुल्क वसूली में समिति एवं सरकार का हिस्सा :

(क) 70 प्रतिशत समिति का हिस्सा : विगत तीन वर्षो में की गई सिंचाई क्षेत्र के औसत के अधार पर निर्धारित क्षेत्र से निर्धारित सिंचाई शुल्क की वसूली कर उसका 70 प्रतिशत प्राप्त करने का अधिकार समिति को होगा, (जिसे वह वर्णित जिम्मेवारियों के निष्पादन के लिए खर्च कर सकेगी और इसका उचित विवरण रखेगी) ।

(ख) 30 प्रतिशत सरकार का हिस्सा : सहमति ज्ञापन पत्र में निर्धारित सरकार का अंश 30 प्रतिशत होगा जिसे प्रत्येक वर्ष में दो बार बैंक ड्राफ्ट द्वारा सरकारी कोषागार में निर्धारित समय पर समिति जमा करेगी, जिसकी सूचना वह कार्यपालक अभियंता को भी देगी ।

7.5.3 सूदकार :

पट्टा में किये गये सिंचाई का लेखा-जोखा समिति एवं ग्रामीण स्तर समिति उचित ढंग से रखेगी । वह ऐसा व्यवस्था करेगी कि प्रत्येक खेत की प्रत्येक सिंचाई के बाद ग्रामीण स्तर समिति द्वारा रखी गई पंजी में किसानों या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर हो, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद पैदा नहीं हो । यह पंजी सिंचाई शुल्क के आकलन एवं निर्धारित दर पर वसूली के लिए आधार होगी । इस पंजी में प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल, किसानों का नाम, सिंचाई की तिथि एवं किसानों के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर आदि अंकित रहेगा । इस पंजी को सूदकार बही के नाम से जाना जायेगा । निर्धारित फसल के लिए सिंचाई की अवधि समाप्त होते ही सूदकार बही के आधार पर खेतों की मापी कराई जायेगी तथा मापी के अनुसार कृषकवार मांग पत्र तेयार किया जायेगा ।

7.5.4 मांग-पत्र :

प्रत्येक सिंचाई के बाद मापी के अनुसार अभिलेख के आधार पर सरकार द्वारा सहमत दर पर कृषकवार सिंचाई शुल्क का मांग पत्र समिति द्वारा तैयार किया जायेगा और इसकी सूचना किसानों को प्रत्येक सिंचाई मौसम के बाद शीघ्र दी जायेगी ।

7.5.5 सिंचाई शुल्क का भुगतान :

लाभान्वित किसान इस मांग पत्र की प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर समिति को भुगतान करेंगे और यदि कोई समय पर ऐसा नहीं करता है तो समिति को यह अधिकार होगा कि अगले फसल मौसम में ऐसे किसानों को पानी नहीं दे एवं इसके अलावे बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 की संबंधित धाराओं के तहत वसूली की कार्रवाई करे ।

7.5.6 मांग निरस्त करने के लिए कार्रवाई :

ऐसी अवस्था में जहाँ सिंचाई पंजी के अनुसार खेत में जलापूर्ति की गई है, लेकिन बाद में पानी की कमी के चलते फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, समिति सिंचाई शुल्क की मांग को निरस्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अथवा निबंधित डाक से प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी को फसल के काटे जाने के पहले ही आवेदन देगी ।

7.5.7 निरस्त आदेश :

इस प्रकार के आवेदन प्राप्त होने के बाद प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी वांछित जांच कर मांग निरस्त करने संबंधित उचित आदेश देंगे, जिसे डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से समिति के सचिव को भेज दिया जायेगा ।

7.5.8 पारित आदेश के विरूद्ध अपील :

प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध संबंधित अंचल के अधीक्षण अभियंता के यहाँ समिति द्वारा अपील की जा सकती है । इस प्रकार के प्रत्येक अपील के साथ प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति भी अनुलग्नित रहेगी । अधीक्षण अभियंता, जैसा उचित समझें, आवश्यक जाँच कर इस अपील पर आदेश देंगे । जाँच की अवधि में सिंचाई शुल्क की वसूली स्थगित रखी जायेगी ।

7.5.9 सिंचाई पंजी एवं भुगतान पंजी :

प्रत्येक ग्राम सिंचाई समिति द्वारा एक पंजी रखी जायेगी, जिसमें प्रत्येक किसान के सभी सिंचित होने वाले क्षेत्रों का पूर्ण ब्योरा रहेगा तथा किस प्लॉट में सिजनवार कितनी बार सिंचाई हुई, उसका भी विवरण रहेगा, सिंचित क्षेत्र के पटवन की राशि तथा किसानों द्वारा भुगतानित पटवन राशि की रसीद संख्या का जिक्र भी इस पंजी में अंकित रहेगा । इस पंजी के निरीक्षण का अधिकार ग्राम समिति के प्रत्येक सदस्य को होगा ।

7.5.10 विभागीय निर्रीक्षण :

प्रमंडलीय नहर अधिकारी को समिति की सिंचाई की पंजी में प्रवेश की गई सूचनाओं,

सिंचाई शुल्क की मांग तथा वसूली के लिए सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, पर समय-समय पर इन पंजियों का निरीक्षण तथा सिंचन क्षेत्र की जांच उनके द्वारा की जा सकती है ।

7.5.11 अल्टरेशन एवं रेमिशन पंजी :

ग्राम स्तर समिति के पास अंतरण एवं छूट (अल्टरेशन एवं रेमिशन) से संबंधित एक पंजी होगी । अंतरण एवं छूट (अल्टरेशन एवं रेमिशन) संबंधी सभी मामलों को ग्राम स्तर समिति अपने स्तर से जांच कर समिति के पास भेजेगी, जिसपर अंतिम निर्णय समिति का होगा, परन्तु उसकी सूचना प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी को भी समिति देगी । नहर पदाधिकारी आवश्यक समझें तो उसकी जांच अपने स्तर से भी कर सकते हैं तथा उसमें संशोधन हेतु समिति को सुझाव दे सकते हैं । दोनों में मतान्तर की स्थिति में अधीक्षण अभियंता का निर्णय अंतिम होगा । यह अंतरण एवं छूट सिर्फ पटवन संबंधी मामलों के लिए ही लागू होगा एवं अन्य मामलों में विधि सम्मत दाखिल-खारिज (म्युटेशन) ही वैद्य होगा । इन मामलों के लिए अलग से पंजी रखी जायेगी ।

7.5.12 सरकार के हिस्से की राशि जमा करने में प्राथमिकता :

प्राप्त सिंचाई शुल्क से सरकार के हिस्सा की निर्धारित राशि का भुगतान समिति द्वारा प्राथमिकता देकर किया जायेगा । इसके पश्चात् ही समिति शेष राशि का उपयोग अपनी नहर प्रणाली एवं ओ.एफ.डी. कार्यों आदि की मरम्मती एवं सिंचाई प्रबंधन पर होने वाले खर्च पर करेगी । इस खर्च का विस्तृत लेखा-जोखा रखना समिति का दायित्व होगा ।

7.5.13 आपातकालीन स्थिति में सिंचाई शुल्क की माफी :

सुखाड़, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा की अवस्था में फसल नष्ट होने पर सिंचाई शुल्क की माफी सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार होगी ।

7.5.14 राशि नहीं जमा करने पर जल की आपूर्ति बन्द :

सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली राशि अगर समिति द्वारा निर्धारित समय पर नहीं दी जाती है तो उस परिस्थिति में अगले मौसम से पानी बंद कर दिया जायेगा एवं बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 की धाराओं के तहत वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

7.6 विवाद एवं निराकरण :

7.6.1 निम्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं :

(क) समिति एवं जल संसाधन विभाग और या काडा के अधिकारियों के बीच:

समिति और जल संसाधन विभाग/काडा के बीच उत्पन्न विवादों का निबटारा एक आरबीट्रेशन समिति के द्वारा किया जायेगा, जिसमें दोनों पक्षों के मनोनीत एक-एक प्रतिनिधि होंगे और तीसरा प्रतिनिधि दोनों पक्षों का सहमत प्रतिनिधि होगा । इस समिति का फैसल दोनों पक्षों को मानय होगा ।

(ख) समिति और ग्रामीण स्तर समिति के बीच:

समिति और ग्राम सिंचाई समिति के बीच के विवादों को भी पहले सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी बातचीत से सुलझाने काप्रयास किया जायेगा और यदि ऐसा संभव नहीं हो सकता तो ऐसे विवादों का निराकरण सामान्य निकाय के निर्णय के द्वारा किया जायेगा । इस स्तर पर भी यदि इसका निराकरण नहीं हो सके, तो मेमोरेन्डम ऑफ एशोसियेशन के उपबंधों के अनुसार समिति द्वारा ग्रामीण स्तर समिति का अवक्रमण कर नया चुनाव कराया जाना ही अंतिम उपाय होगा ।

(ग) एक किसान एवं ग्रामीण स्तर समिति या समिति के बीच :

यदि किसी किसान विशेष द्वारा समिति अथवा ग्राम सिंचाई समिति की कार्यकारिणी

के सदस्यों पर आरोप लगाया गया हो तो इसका निराकरण समिति की सामान्य निकाय द्वारा किया जायेगा ।

(घ) किसी एक किसान और दूसरे किसान के बीच :

यदि किसी एक किसान या किसानों का दूसरे किसान या किसानों के साथ समिति के कार्यो से संबंधित कोई विवाद हो तो उसका निराकरण समिति/ग्राम सिंचाई समिति द्वारा किया जायेगा ।

7.6.2 अपराध एवं दंड :

(क) जान-बूझकर की गई गलती के सुधार के लिए पहले समझाना :

ग्रामीण स्तर समिति और समिति द्वारा निर्धारित नहर संचालन योजना का यदि कोई किसान जान-बूझकर उल्लंघन करता है और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे किसान को देय अवधि में उसे पानी नहीं लेने देता है या किसी प्रकार का अवरोध ा पैदा करता है या पानी की बर्बादी करता है या किसी प्रकार की क्षति पहुँचाता है तो ऐसी अवस्था में ग्राम सिंचाई समिति/समिति के सचिव एवं अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्य ब्यक्तिगत स्तर पर इस विवाद को सुलझायेंगे या उल्लंघन करने वाले ब्यक्ति को समझायेंगे।

(ख) नहीं मानने पर जलापूर्ति बंद :

यदि ब्यवस्था भंग करने वाले किसान उपर्युक्त तरीके से समझाने के बावजूद भी नहीं मानते हैं तो उनके खतों में जलापूर्ति समिति/ग्राम सिंचाई समिति, अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत बंद कर सकती है ।

(ग) अनाधिकृत सिंचाई के लिए दंड :

इस प्रकार जलापूर्ति कर पटाये गये क्षेत्र पर अनाधिकृत सिंचाई की दर से मांग पत्र तैयार कर उसकी वसूली की जा सकती है एवं उनके कारण या अन्य कारण बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 अध्याय - ''अपराध एवं शक्तियों'' के उपयुक्त उपबंधों के अनुसार वैसे किसानों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए ग्राम सिंचाई समिति अपनी समिति के माध्यम से सरकार के पास अनुशंसा कर सकती है, जो समुचित शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेगी ।

(घ) विधि व्यवस्था में समिति को समान अहमियत :

आपराधिक मामलों के लिए विधि एवं व्यवस्था के तहत सामान्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई होगी । स्थानीय स्तर पर विधि एवं व्यवस्था के लिए निर्धारित संस्थान, पदाधिकारी, समिति/ग्रामीण स्तर समिति को वैसी ही अहमियत देंगे जैसे किसी सरकारी विभाग को ।

(ड.) व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई :

किसी सदस्य किसान द्वारा किए गये एतदर्थ अपराधों के लिए किसान विशेष के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी ।

8 वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा :

8.1 समिति की निधि - यह निम्नलिखित प्रकार से जुटाई जाएगी :

(क) सिंचाई शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि का सहमति ज्ञापन के अनुसार समिति का हिस्सा,

(ख) सदस्यता शुल्क,

(ग) वार्षिक चन्दा,

(घ) लाभान्वितों द्वारा (नगद या अनाज या दोनों के रूप में) विशेष योगदान,

(ड.) सरकार स्त्रोतों तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त ऋण/अनुदान,

(च) गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा अनुदान, सहायता एवं दान,

(छ) समिति की क्रिया कलापों से प्राप्त आय, आदि ।

8.2 विशेष प्रोत्साहन :

भारत सरकार/विश्व बैंक/अन्य से इस प्रकार के कार्य के लिए जब कभी कोई अनुदान आदि प्राप्त होगा तो ऐसे अनुदान एवं सुविधाएं समिति को भी प्राप्त होगी ।

8.3 वित्तीय मामले :

(क) वित्तीय प्रबंधन :

कृषक समिति द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा जोखा संधारण वित्त विभाग द्वारा निर्धारित/परामर्शित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा और इसके आलोक में ही समिति सिंचाई शुल्क वसूली की कार्रवाई करेगी तथा इसके लिए निर्धारित पंजियों, रसीद पुस्तियें, बैंक एकाउंट इत्यादि का संधारण करेगी ।

(ख) बजट आदि सरकार को उपलब्ध कराना :

समिति का वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक फाइनानसियल स्टेटमेंट समिति द्वारा बिहार सरकार के जल संसाधन/लघु सिंचाई (नहरों के स्वामित्व वाले) विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी ।

8.3.1 वसूली राशि की सुरक्षा :

समिति नहर कर के रूप में कृषकों से वसूल की गई राशि की सुरक्षा एवं उचित उपयोग के लिए पूरी तरह जिम्मेवार होगी । समिति एकत्रित सिंचाई शुल्क राशि के विचलन, अनियमित अथवा दुर्विनियोग इत्यादि के प्रति सदैव सचेत रहेगी ।

8.3.2 वार्षिक लेखा सरकार को उपलब्ध कराना :

समिति निबंधन अधिनियम 1860 के अधीन जो वार्षिक लेखा सामान्य निकाय अनुमोदित करेगी, उसकी एक प्रति संबंधित कार्यपालक अभियंता के माध्यम से जल संसाधन विभाग को भी दी जायेगी ।

8.3.3 ग्राम सिंचाई समिति द्वारा आकलन/वसूली :

समिति की ईकाई ग्राम सिंचाई समिति है । इसके माध्यम से ही किसानों के खेतों में की गई सिंचाई क्षेत्र का आकलन होगा तथा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित सिंचाई दर के अनुसार सिंचाई शुल्क की वसूली की जायेगी । चूंकि सिंचाई शुल्क अंश का भुगतान सरकार को करने की जिम्मेवारी समिति को है अतः ग्राम सिंचाई समिति द्वारा एकत्रित सिंचाई शुल्क पूर्ण रूप से समिति को हस्तानान्तरित की जायेगी । इस राशि के किसी अंश के इस्तेमाल का अधिकार ग्राम सिंचाई समिति को नहीं होगा ।

8.3.4 सिंचाई शुल्क वसूली रसीद :

सिंचाई शुल्क की वसूली के समय कृषकों के दिया जाने वाला रसीद वही होगा जो राज्य में आम कृषकों को दिया जाता है । उक्त रसीद पुस्तिका जल संसाधन विभाग के राजस्व शाखा द्वारा समिति के सचिव को निर्गत किया जायेगा, जिसका लेखा-जोखा निर्गत करने वाले एवं समिति के कार्यालय में रखा जायेगा । समिति के सचिव रसीद पुसितका के पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर का रबर मुहर लगाकार विभिन्न ग्राम सिंचाई समिति को रसीद पुस्तिका निर्गत करेंगे तथा निर्गत किये जाने वाले रसीद पुस्तिका का लेखा-जोखा समिति कार्यालय में रखा जायेगा । सिंचाई शुल्क से संबंधित कृषकों के सभी अभिलेख ग्राम सिंचाई समिति

के पास संधारित होंगे ।

8.3.5 चंदा आदि के लिए दूसरी रसीद बही :

सिंचाई शुल्क के अलावा समिति एवं ग्राम सिंचाई समिति द्वारा चंदा, सदस्यता शुल्क एवं अन्य सभी स्त्रोतों से होने वाली प्राप्तियों के लिए एक दूसरी तरह की रसीद बही का उपयोग में लाया जायेगा । रसीद बही, समिति द्वारा सभी ग्राम सिंचाई समिति को निर्गत किया जाएगा, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर सचिव के हस्ताक्षर का रबर मुहर अंकित होगा । समिति भी स्वयं इसी तरह के रसीद बही का उपयोग करेगी । ग्राम सिंचाई समिति द्वारा एकत्रित ऐसी राशि समिति के पास जमा किया जायेगा ।

8.3.6 समिति के पास दो रोकड़ बही :

समिति के लेखा-जोखा को स्पष्ट रखने के लिए समिति के द्वारा दो रोकड़ बही का संधारण किया जायेगा । प्रथम रोकड़ बही मात्र सिंचाई शुल्क की प्राप्ति एवं इसके व्यय के लिए रखा जाएगा । द्वितीय रोकड़ बही सम्मिलित रूप से समिति को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि एवं उसके व्यय से संबंधित होगा ।

यदि समिति आवश्यक समझे तो इन दोनों रोकड़ बही के लिए स्थानीय बैंक में दो अलग-अलग खाता खोल सकती है ।

8.3.7 बैंक लेखा :

सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित बैंक में समिति द्वारा एक या एक अधिक अपना लेखा खोला जायेगा ।

8.3.8 बैंक खाता में जमा :

समिति अपनी ईकाइयों (ग्राम सिंचाई समिति) से सिंचाई शुल्क की वसूली की राशि एवं अन्य राशि प्राप्त होने के साथ अपने बैंक खाता में जमा करेगी ।

8.3.9 बैंक से राशि की निकासी :

बैंकों में जमा की गई राशि चेक द्वारा निबंधक समिति सोसायटी रजिस्टर्ड एक्ट 1860 की नियमावली 13 के आलोक में अध्यक्ष एवं सचिव सह कोषाध्यक्ष के संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होने पर ही निकाली जायेगी ।

8.3.10 समिति को खर्च करने की शक्ति :

समिति को अपने बजट उपबंध और/ या समिति के सामान्य निकाय द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किसी अन्य निदेश के अध्याधीन रहते हुए ऐसी राशि खर्च करने की शक्ति होगी जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इसे सौंपे गये कृत्यों के पालन और कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक है ।

8.3.11 ग्राम सिंचाई समिति को रोजमर्रा आय-व्यय लेखा :

रोजमर्रा का आय एवं व्यय के लेखा-जोखा संधारण हेतु एक रोकड़ पुस्तिका सभी ग्राम सिंचाई समिति के पास होगी जिसका समय-समय पर निरीक्षण करना समिति का दायित्व होगा ।

8.3.12 ग्राम सिंचाई समिति का बैंक लेखा :

प्रत्येक ग्राम सिंचाई समिति का एक स्थानीय बैंक/पोस्ट ऑफिस में अपना खाता रहेगा, जिसमें ग्राम सिंचाई समिति द्वारा सिंचाई शुल्क के अलावा एकत्रित धन राधि जमा की जायेगी । यह समिति भी निबंधित समिति के नियमानुसार ही वित्तीय कार्य करेगा ।

8.3.13 अंकेक्षण :

(क) अंकेक्षक की नियुक्ति :

आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रति वर्ष समिति का लेखा अंकेक्षित किया

जायेगा अैर इस पर जो भी खर्च आयेगा समिति द्वारा वहन किया जायेगा । समिति के लेखा के अंकेक्षण के संबंध में अंकेक्षक को वही अधिकार रहेगा जो किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी लेखा के अंकेक्षण में रहता है एवं विशेष रूप से उसे किसी भी पंजी, लेखा संबंधी वाउचर और समिति के सभी कार्यालय या समिति की संस्था का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक द्वारा अंकेक्षण कराना :

निबंधन महानिरीक्षक कभी भी अपने विवेक से संस्था का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त किसी चार्टड एकाउन्टेंट से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था को वहन करना पड़ेगा ।

8.3.14 अंकेक्षण प्रतिवेदन लेखा विवरणी के साथ सरकार को भेजा जाना :

समिति की लेखाओं की विवरणी, जो अंकेक्षक द्वारा सत्यापित हो, उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ अंकेक्षक द्वारा समिति को अग्रसारित किया जायेगा । यदि नियुमानुसार आवश्यक हो तो अंकेक्षित लेखा की एक प्रति बिहार सरकार के संबंधित विभागों को भी दी जायेगी ।

9 विघटन :

संस्था का विघटन सोसाइटी अधिनियम 1860 की धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा । विघटन के उपरान्त जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बाँटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दी जाएगी ।

प्रारूप : प्रपत्र - I

सामान्य निकाय का प्रस्ताव

(कृपया देखें सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 17 एवं सिंचाई प्रबंध नियमावली-2000

आज दिनांक .....को .....वितरणी कृषक समिति की सामान्य निकाय की एक बैठक श्री .....की अध्यक्षता में विधिवत सम्पन्न हुई ।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस समिति का सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860, 21 के अन्तर्गत निबंधन करा लिया जाय ।

सर्वसम्मति से निबंधन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई तथा पत्राचार करने हेतु संस्था के सचिव श्री . .....को अधिकृत किया गया है ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह सामान्य निकाय के प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष **सचिव**

मोहर **मोहर**

प्रारूप : प्रपत्र - II

कृषक समिति का स्मृति पत्र

(कृपया देखें सिंचाई प्रबंधन नियमावली -2000 की कंडिका 5.4)

1. समिति का नाम.....
वितरणी कृषक समिति होगा ।

2. समिति का पंजीकृत कार्यालय ग्राम .....पो0 .....
थाना.....जिला..... में होगा ।

3. कार्यक्षेत्र.....वितरणी का कमांड क्षेत्र होगा ।

4. समिति गठित करने के उद्देश्य :

यह वही होगा जो नियमावली की कंडिका- 4 में वर्णित है ।

5. समिति के प्रबंधन के लिए गठित वर्त्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का नाम, पता एवं व्यवसाय निम्न प्रकार है :

क्रमांक	नाम एवं पिता का नाम	पता	व्यवसाय	समिति में पदनाम
1.	नाम -			
	पिता का नाम -	ग्राम		
	पो0			
	थाना			
	जिला			अध्यक्ष
2.	नाम -			
	पिता का नाम -	ग्राम		
	पो0			
	थाना			
	जिला			उपाध्यक्ष
3.	नाम -			
	पिता का नाम -	ग्राम		
	पो0			
	थाना			
	जिला			उपाध्यक्ष

4. नाम –

पिता का नाम – ग्राम .....
पो0 .....
थाना .....
जिला ..... सचिव

5. नाम –

पिता का नाम – ग्राम .....
पो0 .....
थाना .....
जिला ..... कोषाध्यक्ष

6. नाम –

पिता का नाम – ग्राम .....
पो0 .....
थाना .....
जिला ..... सदस्य

7. नाम –

पिता का नाम – ग्राम .....
पो0 .....
थाना .....
जिला ..... सदस्य

8. नाम –

पिता का नाम – ग्राम .....
पो0 .....
थाना .....
जिला ..... सदस्य

क्रमांक नाम एवं पिता का नाम पता व्यवसाय समिति में पदनाम

9. नाम –

पिता का नाम – ग्राम .....
पो0 .....
थाना .....
जिला ..... सदस्य

10. नाम –

पिता का नाम – ग्राम .....
पो0 .....
थाना .....
जिला ..... सदस्य

11. नाम –

पिता का नाम – ग्राम .....
पो0 .....
थाना .....
जिला ..... सदस्य

निम्नांकित व्यक्ति जिसका नाम, पिता का नाम पेशा तथा हस्ताक्षर नीचे अंकित है, समिति के स्मृति पत्र के अनुसार, सोसायटी निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत समिति के निबंधन हेतु आकांक्षी हैं :-

क्रमांक	नाम एवं पिता का नाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर	(पूरा हस्ताक्षर)

1. नाम -
पिता का नाम -

2. नाम -
पिता का नाम -

3. नाम -
पिता का नाम -

4. नाम -
पिता का नाम -

5. नाम -
पिता का नाम -

6. नाम -
पिता का नाम -

7. नाम -
पिता का नाम -

8. नाम -
पिता का नाम -

9. नाम -
पिता का नाम -

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किए है, जिन्हें मैं पहचानता हूँ ।

हस्ताक्षर -
पदनाम -
पता -
मोहर -

प्रारूप : प्रपत्र - III

कृषक समिति द्वारा सिंचाई जल प्रबंधन की गतिविधियों का संपादन करने, नहर संचालन, रख-रखाव, सिंचाई शुल्क का आकलन एवं वसूली करने के लिए सहमति-ज्ञापन पत्र

(सिंचाई प्रबंधन नियमावली, 2000 की कंडिका 5.6 के अन्तर्गत)

यह सहमति-ज्ञापन कार्यपालक अभियंता.....प्रमंडल ....(जो बिहार के राज्यपाल के प्रतिनिधि होंगे) और .....समिति (जो सम्बन्धित क्षेत्र के कृषकों की प्रतिनिधि होगी)के बीच दिनांक ..... को लागू किया जा रहा है ।

इस सहमति ज्ञापन के अनुसार .....वितरणी (जो .....नहर के ... .कि.मी. से निकलती है) से निकलने वाली उप वितरणी, लघु नहर और जलवाहों एवं वितरणी से सीधी निकली ग्रामीण नालों से सिंचित होने वाले कमांड क्षेत्र में नहर संचालन, जल बंटवारा, आउटलेट की उपर की नहर एवं नीचे की प्रणालियों के रख-रखाव, सिंचाई शुल्क का आकलन एवं वसूली कार्य एकरारनामा की तिथि से 5 वर्षो की अवधि के लिए ..... समिति को सुपुर्द किया जाता है ।

किन्तु सिंचाई प्रणाली का स्वामित्व, जिसमें सभी सिंचाई नालियाँ, संरचनाये, वृक्षों तथा सभी अर्जित भूमि आदि सम्मिलित हैं, बिहार सरकार के अधिकार में रहेगा ।

दोनों पक्ष जिनके बीच यह सहमति ज्ञापन लागू किया जा रहा है, नियमावली की शर्तो के अधीन उपरोक्त कार्य करने के लिए सहमत हैं । इन शर्तो में कोई भी परिवर्त्तन दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही किया जा सकेगा । परन्तु उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व भी अपरिहार्य कारणों जैसे नहर प्रणाली का असंतोषजनक प्रबंधन, सहमति ज्ञापन के शर्तो का कृषक समिति द्वारा अनुपालन नहीं करने, लेखा पद्धति का संतोषजनक संधारण नहीं होने की परिस्थिति में सहमति ज्ञापन को समाप्त कर नहर का प्रबंधन विभाग द्वारा ले लिया जायेगा ।

2. उसी प्रकार सम्बन्धित कृषक संगठन द्वारा भी नहर प्रणाली का प्रबंधन कार्य छोड़ने की इच्छा व्यक्त किये जाने पर विभाग द्वारा नहर प्रणाली की प्रबंधन का भार ग्रहण कर लिया जायेगा ।

हस्ताक्षर
सचिव,
.....कृषक समिति ।

हस्ताक्षर
कार्यपालक अभियंता
.....प्रमंडल
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

प्रारूप : प्रपत्र - IV

लम्बी अवधि के लिए पट्टे का आवेदन

जिला ..... थाना .....वितरणी.....

1. मैं .....समिति के ..... रूप में बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 के अन्तर्गत बने नियमों को मानते हुए उनके अनुसार ....वितरणी से सिंचित होने वाले गाँवों जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, का प्रति वर्ष 1 अप्रील से 31 मार्च तक अगले 5 वर्षों तक सिंचाई के लिए जलापूर्ति हेतु आवेदन देता हूँ ।
2. मै इस बात पर सहमत हूँ कि खरीफ सीजन के लिए रू0 .....प्रति हेक्टेयर, रब्बी मौसम के लिए रू0 ..... प्रति हेक्टेयर एवं गर्मा के लिए रू0 .... प्रति हेक्टेयर पानी की दर अपनी समिति द्वारा दो किस्तों में 30 जून तक रब्बी की एवं 31 मार्च तक गरमा एवं खरीफ से लाभान्वित किसानों से वसूल कर जमा करूँगा ।
3. सिंचाई के राजस्व दर में पट्टे की अवधि के बीच में यदि सरकार द्वारा वृद्धि की जाती है, तो वह मान्य होगी ।
4. उपरोक्त जमा की गई राशि का 30 प्रतिशत भाग सरकार को जमा किया जायेगा और शेष राशि समिति को सरकार द्वारा दिये गए उत्तरदायित्वों के निष्पादन के लिए (जिसका उल्लेख नियमावली में है) ब्यवहार में लाया जायेगा एवं इसका उचित लेखा हमेशा उपलबध रखा जायेगा जिसका निरीक्षण एवं अंकेक्षण सरकार कर सकती है । अगर समिति द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर राशि सरकार को नहीं जमा की जाती है तो अगले फसल मौसम से समिति को पानी नहीं दिया जायेगा ।
5. मेरे कार्यकाल के समाप्त होने पर जो उत्तराधिकारी मेरे स्थान पर निर्वाचित/मनोनीत होंगे, वे भी इन शर्तों से बंधे रहेंगे ।

नोट : सरकार द्वारा निर्धारित सिंचाई दर लागू होगा ।

अध्यक्ष/सचिव का हस्ताक्षर

समिति की मुहर

अनु0:- 1.गाँवों की सूची एवं सिंचित होने वाले जमीन का क्षेत्रफल ।

2.समिति के निबंधन के अभिलेख की प्रति ।

3.आवेदक के निर्वाचन/मनोनयन का प्रमाण-पत्र ।

गाँव का नाम	रेभेन्यू थाना न0	गाँव का कुल क्षेत्रफल (हे.)	गाँव मे सिंचित होने वाले भूमि का क्षेत्रफल(हे.)

ग्राम सिंचाई समिति के अध्यक्ष का नाम , पता	ग्राम सिंचाई समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर
1	
2	
3	
4	
5	
6	

प्रारूप : प्रपत्र - V

लम्बी अवधि के लिए पट्टा की अनुमति

अनुमति संख्या .....

आवेदन संख्या .....दिनांक .....

कृषक समिति का नाम .....

मौजा/परगना का नाम .....

सिंचित होने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल .....

वितरण प्रणाली का नाम .....

शीर्ष नियामक की स्थिति (लोकेशन) .....

शीर्ष नियामक का पूर्ण प्रश्राव (रूपांकित) .....वास्तव में औसत .....

सिंचाई का समय 1 अप्रील से 31 मार्च .....

पानी का दर - (1) खरीफ की दर .....

(2) रब्बी की दर .....

(3) गरमा की दर .....

भुगतान की तिथि

खरीफ एवं गरमा के लिए अगले वर्ष के 31 मार्च तक
रब्बी के लिए 30 जून तक ।

समिति के सचिव/अध्यक्ष का नाम .....

पता .....

अनुमति की अवधि .....

यह अनुमति बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 एवं उसकी धारा के अन्तर्गत प्रचलित नियमावली के उपबंधों के अन्तर्गत निर्गत की गई है । जलापूर्ति के लिए सिंचाई शुल्क प्रत्येक वर्ष, जल की माँग नहीं होने पर भी लिया जाएगा ।

हस्ताक्षर

प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी